7 –

प्रेषक,

निदेशक,
साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा,उ.प्र.
203/9, नबीउल्लाह रोड, लखनऊ ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
हमीरपुर ।

पत्रांक/सा.एवं वै.शि./24338-44/2007–08 दिनांक : 14 दिसम्बर, 2007

विषय : वर्ष 2007–08 में स्वैच्छिक संगठन को आवासीय ब्रिजकोर्स संचालित किए जाने की स्वीकृति।

महोदय,

स्वैच्छिक संस्था– जनकल्याण परिषद, प्रधान कार्यालय, 80/5, साइट नं.–एक, किदवईनगर, कानपुर का प्रस्ताव आपके जनपद मे आवासीय ब्रिजकोर्स संचालित करने हेतु राज्य स्तर पर प्राप्त हुआ है।

सूच्य है कि उक्त प्रस्ताव पर राज्य स्तर पर गठित ग्राण्ट–इन–एड कमेटी की दिनांक 10.12.2007 की बैठक में विचार किया गया। समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव की समीक्षा करते हुए जनपद हमीरपुर में उक्त संस्था को एक आवासीय ब्रिजकोर्स संचालित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है:–

क्र. सं.	संस्था का नाम एवं पता	जनपद	स्वीकृत आवासीय ब्रिजकोर्स संख्या	अनुमन्य/स्वीकृत धनराशि
1.	जनकल्याण परिषद, प्रधान कार्यालय, 80/5 साइट नं.–एक किदवईनगर, कानपुर	हमीरपुर	एक	4,08,000.00

संस्था को प्रति आवासीय ब्रिजकोर्स निम्नवत् वित्तीय मानक के अनुसार व्यय करना होगा :–

मद	संशोधित प्रति ब्रिजकोर्स 60 बालक/बालिकाओं की अनुमन्य धनराशि
मानदेय (दो अनुदेशक) 6 माह के लिए रु. 2500/– प्रति माह की दर से	30000.00
रसोईया हेतु मानदेय 6 माह के लिए रु. 1500/– की दर से	9000.00
रसोईया सहायक हेतु मानदेय 6 माह के लिए रु. 1000/– की दर से	6000.00
मानदेय चौकीदार हेतु 6 माह के लिए रु. 1000/– की दर से	6000.00
पठन–पाठन सामग्री प्रति विद्यार्थी रु. 450.00X60	27000.00
केन्द्र हेतु सामग्री/उपकरण	6000.00
आवास एवं भोजन हेतु प्रति विद्यार्थी रु. 27/– प्रतिदिन 27X 60 की दर से	291600.00

(RA) Saksharta doc / 7

Scanned with OKEN Scanner

आवासीय व्यवस्था हेतु सामग्री(ओढ़ना, बिछौना व भोजन पकाने एवं खाने के बर्तन) रु. 466.67 प्रति बच्चा X 60	28000.00
प्रशिक्षण दो अनुदेशक(दस दिनों हेतु) 2X 70X 10	1400.00
आकस्मिक व्यय(संचालन स्थल का बोर्ड, चिकित्सा सुविधा, 60 फाइल कवर, टैक एवं अन्य रजिस्टर आदि)	2000.00
अभिलेखीकरण(फोटोग्राफी सहित)	1000.00
योग	**408000.00**

नोटः– बच्चों हेतु शिक्षण सामग्री मद, आवास एवं भोजन तथा आवासीय व्यवस्था हेतु सामग्री का आगणन 60 छात्रों हेतु किया गया है, परन्तु केन्द्र में नामांकित वास्तविक संख्या के अनुसार ही प्रति छात्र व्यय किया जाय। शेष मद यथावत् रहेगें ।

वर्ष 2007–08 में वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के पत्र संख्या–अ.रा.प.नि./1964/2007–08 दिनांक 26 जुलाई,2007 एवं पत्र संख्या–रा.प.नि./वै.शि./18131–430/2007–08 दिनांक 14 अगस्त,2007 को विस्तृत निर्देश दिये गये है। अतः उक्त पत्र के संलग्नक–5 में आवासीय ब्रिजकोर्स के बच्चों के लिए दी जाने वाली सामग्री का भी विवरण दिया गया है। दिनांक 14 अगस्त,2007 के पत्र का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

स्वैच्छिक संस्था को धनराशि आवंटित करते समय उक्त पत्र में दिये गये निर्देशों एवं संलग्नक–5 में दी गयी सामग्री के अनुसार व्यवस्था करने के भी निर्देश दिये जाय। अनुबन्ध के साथ उक्त निर्देशों एवं संलग्नक–5 के अनुसार ब्रिजकोर्स के संचालन पर भी संस्था की सहमति प्राप्त कर ली जाय। पर्यवेक्षण/निरीक्षण के समय उक्त पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही आवासीय ब्रिजकोर्स में सामग्री की व्यवस्था का भी सत्यापन किया जाय।

संस्था को एक आवासीय ब्रिजकोर्स के संचालन एवं उपर्युक्त धनराशि अवमुक्त करने हेतु निम्नालिखित कार्यवाही तत्काल सम्पन्न की जाय :–

1. सर्वेक्षण के आधार पर 11–14 वय वर्ग की पर्याप्त संख्या में आउट आफ स्कूल बालक/बालिकाओं की संख्या सूची तत्काल दी जाय ताकि स्वीकृत किये गये स्वैच्छिक संस्था को अभिभावकों की काउंसलिंग आदि करके बच्चों को आवासीय ब्रिजकोर्स में लाने में कोई कठिनाई न हो।
2. अनुदेशकों के नाम प्राप्त कर प्रशिक्षण हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।
3. संस्था को प्रथम किश्त स्वैच्छिक संस्थाओं हेतु निर्गत गाइड लाइन के परिशिष्ट–8 (एग्रीमेण्ट) एवं परिशिष्ट–9 (टर्म्स एंड कण्डीशन) पर संस्थान की सहमति प्राप्ति के उपरान्त ही अवमुक्त की जाय।
4. संस्था को धनराशि तीन किश्तों में 40:40:20 के अनुपात में अवमुक्त की जाय। द्वितीय किश्त तभी अवमुक्त की जाय, जब प्रथम किश्त का उपभोग प्रमाण पत्र व अन्य वांछित अभिलेख प्राप्त कर लिए जाय।
5. ब्रिजकोर्स पूर्ण किए जाने के उपरान्त बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने/स्कूलों में दाखिल कराने की वचनबद्धता भी अनिवार्यतः प्राप्त की जाय।
6. आवासीय ब्रिजकोर्स संचालन हेतु चिन्हित किये गये भवन के मालिक एवं संस्था के बीच निर्धारित अवधि 6 माह हेतु सहमति पत्र प्राप्त कर लिया जाय।

Scanned with OKEN Scanner

7. राज्य परियोजना कार्यालय/साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय की मासिक स..क्षा बैठक में निदेशालय से आवंटित बजट का व्यय विवरण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाय।

8. राज्य परियोजना कार्यालय/साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय से समय-समय पर निर्गत निर्देशो का पालन संस्था द्वारा किये जाने हेतु सहमति प्राप्त कर ली जाय।

9. बालक/बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा। इस हेतु संस्था से सहमति प्राप्त कर ली जाय।

10. संस्था को शिविर समाप्ति पर तृतीय/अन्तिम किश्त तभी अवमुक्त की जाय जब संस्था द्वारा पूर्व में आवंटित की गयी धनराशि का सी0ए0 आडिट तथा उपभोग प्रमाण पत्र एवं मिड टर्म तथा अन्तिम अभिलेखीकरण, आउट आफ स्कूल बच्चों के मुख्यधारा में दाखिले की आख्याओं सहित उपलब्ध करा दी जाय।

उपरोक्त निर्धारित शर्तों/अनुबन्ध को पूर्ण कराते हुये स्वीकृत आवासीय ब्रिज..गेर्स को दिनांक **30.12.2007** तक अनिवार्य रूप से संचालित कर लिया जाय । उपरोक्त शर्तों/अनुबन्धों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय। अन्यथा की स्थिति में पूर्ण उत्तदायित्व आपका होगा।

भवदीय,

14.12.07

डा.(दलजीत सिंह पुरी)
निदेशक,
साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या : सा0 एवं वै0शि0/24338-44 /2007-08 तद्दिनांक ।

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित :-

1. राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, निशातगंज, लखनऊ.।
2. जिलाधिकारी, हमीरपुर ।
3. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, हमीरपुर।
4. अध्यक्ष/सचिव, जनकल्याण परिषद, प्रधान कार्यालय, 80/5, साइट नं.-एक, किदवईनगर, कानपुर ।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) चित्रकूटधाम मण्डल, चित्रकूट।
6. गार्ड फाइल हेतु।

14.12.07

डा.(दलजीत सिंह पुरी,
निदेशक,
साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(R4) Saksharta.doc / 9

Scanned with OKEN Scanner